भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3306

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

स्मार्ट मीटर योजना

3306. श्री राजकुमार रोत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में किन-किन राज्यों में वर्तमान में स्मार्ट मीटर योजना लागू है;

(ख) स्मार्ट मीटरों को लगाए जाने पर हुए व्यय सहित स्मार्ट मीटरों की संख्या का राज्यवार और विशेषकर राजस्थान में जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक उपभोक्ता के लिए स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन स्मार्ट मीटरों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया सहित ऐसी शिकायतों की संख्या का राजस्थान में जिलावार ब्यौरे सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के साथ-साथ राज्य योजनाओं सहित अन्य स्कीमों के अंतर्गत देश भर में स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वित की जा रही है। आरडीएसएस के अंतर्गत, राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुरोध के आधार पर 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.11 लाख फीडरों और 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य संस्वीकृत किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर होते हैं तथा 4.55 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं। देश भर में कुल 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर संस्थापित किए गए हैं। राजस्थान सहित राज्य वार विवरण **अनुबंध-I और अनुबंध-II** पर संलग्न हैं।

स्मार्ट मीटर डिस्कॉम और उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं:

- वास्तविक खपत के आधार पर सटीक बिलिंग।
- बेहतर पारदर्शिता और मैनुअल मीटर रीडिंग त्रुटियों का उन्मूलन;
- डिस्कॉम के लिए बेहतर ऊर्जा लेखांकन और बेहतर संग्रह दक्षता;
- मोबाइल-ऐप आधारित खपत की निगरानी उपभोक्ताओं को उनके विद्युत उपयोग का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है; और
- उन्नत ग्रिड प्रबंधन और ऊर्जा पारगमन उपायों को सक्षम करना।

स्मार्ट मीटरों की संस्थापना चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च भार वाले उपभोक्ताओं में, और इसके बाद लाभों के सफल प्रदर्शन के आधार पर अन्य उपभोक्ता श्रेणियों में संस्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ङ) और (च) : प्रारंभिक चरण में स्मार्ट मीटरों के लाभों के संबंध में सीमित जागरूकता के कारण उपभोक्ताओं द्वारा कुछ चिंताएँ व्यक्त की गई थीं। इन चिंताओं के समाधान तथा उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा राजस्थान सहित सभी राज्यों में कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित परामर्श और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं:

- छूट के माध्यम से प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने संबंधी परामर्श;
- स्मार्ट मीटरों द्वारा दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ताओं पर कोई दंडात्मक शुल्क न लगाए जाने संबंधी परामर्श;
- पिछले बकाया की वसूली आसान किस्तों में सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान करने संबंधी परामर्श;
- संस्थापित कुल स्मार्ट मीटरों में से न्यूनतम 5% में चेक मीटर संस्थापित करने के लिए और अतिरिक्त बिलिंग से संबंधित मामलों में, मीटर की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए परामर्श
- यूटिलिटी, नोडल एजेंसियों और उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 एक मजबूत उपभोक्ता शिकायत निवारण फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। उपभोक्ता सबसे पहले वितरण यूटिलिटी के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क कर सकते हैं और यदि असंतुष्ट हैं, तो शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) और बाद में विद्युत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3306

अनुबंध-I

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का विवरण

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत लागत	संस्वीकृत जीबीएस
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	54	12
2	आंध्र प्रदेश	4,128	815
3	अरुणाचल प्रदेश	184	54
4	असम	4,050	1,052
5	बिहार	2,021	412
6	छत्तीसगढ़	4,105	804
7	दिल्ली	13	2
8	गोवा	469	95
9	गुजरात	10,642	1,885
10	हिमाचल प्रदेश	1,788	466
11	जम्मू और कश्मीर	1,064	272
12	झारखंड	858	191
13	केरल	8,231	1,413
14	मध्य प्रदेश	8,911	1,504
15	महाराष्ट्र	15,215	2,840
16	मणिपुर	121	38
17	मेघालय	310	86
18	मिजोरम	182	61
19	नागालैंड	208	60
20	पुडुचेरी	251	56
21	पंजाब	5,769	960
22	राजस्थान	9,715	1,686
23	सिक्किम	97	30
24	तमिलनाडु	19,235	3,398
25	त्रिपुरा	319	80
26	उत्तर प्रदेश	18,956	3,501
27	उत्तराखंड	1,106	310
28	पश्चिम बंगाल	12,670	2,089
कुल		**1,30,671**	**24,173**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3306

अनुबंध-II

दिनांक 28.02.2026 तक विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संस्थापित स्मार्ट मीटरों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित स्मार्ट मीटरों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	7,52,00
2	आंध्र प्रदेश	26,03,414
3	अरुणाचल प्रदेश	63,151
4	असम	55,78,084
5	बिहार	89,27,853
6	चंडीगढ़	24,214
7	छत्तीसगढ़	36,31,325
8	दिल्ली	2,60,000
9	गोवा	2,775
10	गुजरात	41,30,630
11	हरियाणा	8,47,467
12	हिमाचल प्रदेश	9,88,078
13	जम्मू और कश्मीर	13,13,433
14	झारखंड	11,74,016
15	केरल	1,77,462
16	लद्दाख	57,509
17	मध्य प्रदेश	39,79,244
18	महाराष्ट्र	95,31,245
19	मणिपुर	40,304
20	मेघालय	0
21	मिज़ोरम	31,643
22	नागालैंड	37,231
23	ओडिशा	4,500
24	पुडुचेरी	26,258
25	पंजाब	20,88,774
26	राजस्थान	35,64,314
27	सिक्किम	88,900
28	तमिलनाडु	1,40,725
29	तेलंगाना	8,882
30	त्रिपुरा	2,05,380
31	उत्तर प्रदेश	90,29,894
32	उत्तराखंड	4,86,541
33	पश्चिम बंगाल	6,44,255
कुल		**5,97,62,701**

****